

10.07.2024

पत्रावली पेश हरी वकील प्रार्थी उपस्थित।
बस सुनी गयी। पत्रावली का प्रतिलेख
किया गया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत आदेश पृष्ठा
से लिखा जाकर सुनाया गया।
पत्रावली फॉर्मल नुमांदा होकर बाद
तकमील दाखिल पत्र होवे।



उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा